

Order Sheet [Contd.]

Case No. of

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<u>21.04.2026</u>	<u>प्रकरण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के आदेशानुसार अंतरण पर प्राप्त।</u> आवेदकगण द्वारा श्री सुभाष कुमार, अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक क्र. 7 एवं 8 द्वारा सुश्री सविता पंजाबी, अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक क्र. 5 द्वारा श्री राजदीप छाबड़ा, अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक क्र. 2 द्वारा श्री राजेश तिवारी, अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक क्र. 4 द्वारा सुश्री अंजली सिंह चौहान, अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक क्र. 3 अनुपस्थित। अनावेदक क्र. 1 आम जनता अनुपस्थित। प्रकरण आदेश 08 नियम 01(3) व्य.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है। आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया। <u>इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी क्र.7 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) व्य.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।</u>	

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रतिवादी क्र.7 की ओर से आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी, जिसके मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। अतः प्रतिवादी क्र. 7 के द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज को प्रकरण में लिये जाने का निवेदन किया गया। वादी द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में पूर्व में उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया जा चुका है। साक्ष्य प्रारंभ होने की स्थिति में दस्तावेज प्रस्तुत करना प्रकरण को लंबित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पर तर्क श्रवण किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण वर्तमान में अनावेदक साक्ष्य के स्तर पर है। अनावेदक क्र. 7 की ओर से बैनामा कैफियत एवं अनावेदिका के नाम पर जारी ऋण पुस्तिका को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति चाहा गया। उपरोक्त दस्तावेज वाद के गुण-दोष के आधार पर निराकरण हेतु आवश्यक दर्शित होते हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक क्र.7 की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 8 नियम 1(3) व्य.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है तथा सूची अनुसार दस्तावेज बयनामा एवं आवेदिका का ऋण पुस्तिका को अभिलेख में लिया जाता है।	

Order Sheet [Contd.]

Case No. of

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<u>उपरोक्तानुसार आदेश 8 नियम 1(3) व्य.प्र.सं.</u> <u>निराकृत।</u> प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु अग्रसर किया जाता है। प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु दिनांक-25.08.2026 सही/- (अनुप तिग्गा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)	